

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के नियम 138 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

राजस्व ग्राम <u>सांगाना</u> पंचमं <u>खडान</u> मू०अ०नि०यू० <u>आबूरोड</u> तहसील- <u>आबूरोड</u>						
क्र. स.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	45	439 440 441 वर्ग 28 किता 14 कुल रकबा	3.6165 है.	कांता पुत्री बाबू हि. 1/8 जग्गि गरसिया सा. देह खातेदार रास्मि हि. 1/8 (पूर्व खाता) राजस्थान मकधरा ग्रामीण बैंक शाखा किवली श्रीष खाता बफ्दुर नमाबंदी	कांता पुत्री बाबू हि. 1/8 जग्गि गरसिया सा. देह खातेदार रास्मि हि. 1/8 (पूर्व खाता) राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा किवली श्रीष खाता बफ्दुर नमाबंदी	

मुताबिक मिसल/जमाबंदी संवत् 2075-2078 (2019/20) के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज. 0 नू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय आबूरोड के समक्ष श्रयण योग्य है।

Bhambhani
पटवारी (म. अ.)
पटवार मण्डली खडान

दिनांक 24/12/25 तहसील-आबूरोड (सिरोही)

साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।

दिनांक 24/12/25

ह० मू०अ०नि० आबूरोड

प०हल्का खडान मू०अ०नि० आबूरोड की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण धन्दोबस्त संक्रियाओं के दौरान/पूर्ण का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय आबूरोड को सादर प्रेषित है।

W
24/12/25
तहसील-आबूरोड जिला-सिरोही

प०हल्का खडान मू०अ०नि० आबूरोड राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हाल जमाबंदी में अमल किया जावे। K
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कार्यालय आबूरोड
ह० उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड कार्यालय